न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 116/15
दायरा दिनांक 06.08.2015
निर्णय दिनांक 26.06.2019

बउनवान

1.डालचन्द उम्र 65 पुत्र मदनमोहन जाति धाकड निवासी मिसाई, तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)

वादी

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र मदनमोहन जाति धाकड । निवासी मिसाई
2. नरेश कुमार पुत्र रूपनारायण जाति धाकड । तहसील किशनगंज
3. कपिल कुमार पुत्र रूपनारायण जाति धाकड । जिला बारां
4. राज0सरकार जरिये तहसीलदार साहब किशनगंज जिला बारां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा, 53,188, आर0टी 0एक्ट एवं इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक :–

वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा,53,188 आर0टी 0एक्ट एवं इन्द्राज दुरूस्ती जरिये अभिभाषक श्री रामकिशन नागर ने इस आशय का पेश किया कि–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के सामलाती खाते की भूमि ख0न0 376 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी दोयम नहरी लगानी 5.14 रूपये वाके ग्राम सोडाना एवं ख0न0 240 की रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा चाही अ0 नहरी लगानी 5.40 रूपये ख0न0 273 की 04 बिस्वा किस्म खेडा–1 लगानी 0.40 रू0 तथा वादी के व्यक्तिगत खाते की ख0न0 229 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा किस्म बा0अ0 नहरी लगानी 4.05 रू0,ख0न0 259 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म चा0अ0 नहरी 9.18 रू वाके ग्राम मिसाई पटवार हल्का रानीबडौद मे स्थित है इस प्रकार कुल भूमि 15 बीघा 13 बिस्वा है जिसको वाद पत्र मे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के सहखातेदारी की एवं व्यक्तिगत खाते एवं कब्जे काश्त की भी है सहखातेदार भूमि में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य बंटवारा हो चुका है। जिसमे वादी एंव प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 –1/2 हिस्सा है तथा वादी के व्यक्तिगत खाते भूमि पर वादी तनहा रूप से काबिज काश्त है।
3. यह कि वादी की सहखातेदारी भूमि तथा व्यक्तिगत खाते की भूमि मे प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 जबरन कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा करते है और वादी को काश्त नही करने देते है और किराये के ट्रेक्टर से भी नही हांकने व जोतने देते है यदि प्रार्थी किराये के ट्रेक्टर को लेकर हांकने जोतने जाता है तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ट्रेक्टर मालिक को भी डराते धमकाते है जिसके भय से ट्रेक्टर वाले भी वादी की भूमि को हांकने जोतने नही जाते है।
4. यह कि सहखातेदारी की विवादित भूमि में रिकार्डेड बंटवारा नही होने से वादी के हिस्से 1/2 की पेमाईश भी नही हो सकती और न ही सीमाकंन होना संभव है तथा सिंचाई शुल्क जमा कराने एवं अपने हिस्से की भूमि में कृषि विकास कार्य कराने आदि में समस्या उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ सहखातेदारी की भूमि में संयुक्त खाता रखा जाना संभव नही है ऐसी स्थिति मे वादी सहखातेदारी की भूमि बंटवारा कराकर अपना खाता पृथक करवाने का अधिकारी है तथा प्रार्थी व्यक्तिगत खाते की भूमि मे वादी

के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने से प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि वादी के वृद्व एवं कमजोर होने का तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 स्वय के प्रभावशाली व अमीर होने का प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 नाजायज फायदा उठाकर वादी को आर्थिक रूप से परेशान करने की गरज से उक्त कृत्य कर रहे है जिसके कारण वादी काफी मानसिक तनाव मे है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है (तथा वादी के व्यक्तिगत खाते की विवादित भूमि मे मे वादी के पिता का नाम सहवन से ''मदनलाल'' गलत दर्ज है जिसको ''मदनलाल'' के स्थान पर ''मदनमोहन'' दर्ज किया जाना आवश्यक है।)
6. यह कि वादी 26.07.2015 को अपने व्यक्तिगत खाते की भूमि एवं सहखातेदारी की भूमि मे से अपने हिस्से 1/2 भूमि को हांकने गया तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने हांकने से मना कर दिया तथा ट्रेक्टर वाले को भी डरा धमका कर भगा दिया और वादी के साथ मारपीट करने का प्रयास किया इसी कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
7. यह कि विवादित भूमि का सुप्रीम लेण्ड होल्डर प्रतिवादी क्रम 4 है जिसको वाद पत्र मे प्रोफोर्मा पक्षकार बनाकर वाद पत्र पेश किया गया है।
8. यह कि वाद उचित न्याया शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।
9. यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार मे पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री किया जाकर वादपत्र की मद नं0 1 मे वर्णित सहखातेदारी की भूमि का बंटवारा किया जाकर वादी का हिस्सा 1/2 पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नक्शे मे तरमीम किया जावे। तथा वादी को व्यक्तिगत खाते की वादपत्र की मद नं0 1 मे वर्णित भूमि के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी न करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा व्यक्तिगत खाते की भूमि मे वादी के पिता का नाम ''मदनलाल'' के स्थान पर ''मदनमोहन'' दर्ज किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता दिलायी जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये/ नियत तिथि को क्रम 1 ता 4 के सम्मन प्राप्त क्रम 4 स्वयं उप0प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की ओर से एड0 राधेश्याम नागर ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी क्रम 4 फोरमल पक्षकार होने से जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया–

1. यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है तथा कथन है कि उक्त वर्णित मद न0 1 की आराजी प्रतिवादीगण को अप0 भाई बंटवारे में प्राप्त हुई किन्तु वादी के अपने खाते होने से बदनियति आ गई वादी जवाब प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त के दखलअन्दाजी करने को आमादा रहता है।
4. यह कि वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है।
8. यह कि वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है।
9. यह कि वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है।

वादी की प्रार्थना अस्वीकार है।

काउन्टर क्लेम एवं विशेष कथन

1. यह कि वाद पत्र की वर्णित मद नं0 1 आराजी वाके ग्राम सोडाना एवं ग्राम मिसाई की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के वादी एवं प्रतिवादी के सामलाती खाते मे एवं स्वयं के अलग से खाते दर्ज हो गयी ए वादी एवं प्रतिवादीगण सगे भाई है। जिनके मध्य बंटवारा हुआ था। बी जिसमे प्रतिवादी को बंटवारे से प्राप्त हुये है। वादी ने बंटवारे के वक्त प्रतिवादी के खाते दर्ज करवाने का भी वादा किया था वादी अपने खाते को प्रतिवादी से दर्ज करवा लिया है किन्तु प्रतिवादी के खाते दर्ज नही करवाना चाहता है वादी जबरन प्रतिवादी के बंटवारे से प्राप्त आराजी को भी हडपना चाहता है।

2. यह कि उक्त वर्णित मद नं0 1 अर्सा 12 वर्षो से भी अधिक साक्ष्य से प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त से है। इस हेतु प्रतिवादी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।
3. यह कि प्रतिवादी के कब्जे काश्त मे वादी दखलअन्दाजी नही करे इस हेतु प्रतिवादी खिलाफ वादी स्थित निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।
4. यह कि काउन्टर क्लेम मे सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है।
5. यह कि काउन्टर क्लेम उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
6. यह कि अन्य वजूवात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः जवाब दावा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का बाद खारिज किया जावे

1. कि उक्त वर्णित मद नं0 1 वाके ग्राम सोडाना एवं मिसाई पर प्रतिवादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी के खाते दर्ज की जावे।
2. वादी का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।
3. अन्य न्यायोचित सहायता उचित हो प्रतिवादी को वादी से दिलाई जावे।

वादी अधिवक्ता ने जवाब उल जवाब इस आशय का पेश किया कि–

1. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 1 अस्वीकार है और कथन है कि ग्राम सोडाना की भूमि ख0न0 376 की 7 बीघा 07 बिस्वा एवं ग्राम मिसाई की भूमि ख0न0 240 की 01 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0न0 273 की 04 बिस्वा कुल 9 बीघा 01 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 की संयुक्त खातेदारी की है तथा ग्राम मिसाई की भूमि खसरा सं0 229 की 04 बीघा 01 बिस्वा एंव खसरा सं0 259 की 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 6 बीघा 12 बिस्वा वादी की व्यक्तिगत खाते की भूमि है। संयुक्त खाते की भूमि मे वादी का हिस्सा 1/2 है जिस पर वर्तमान मे वादी काबिज काश्त है और व्यक्तिगत खाते की सम्पूर्ण भूमि 6.12 बीघा पर वादी तन्हा रूप से काबिज काश्त है। लेकिन वादी के वृद्व एवं कमजोर होने का प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाते हैं और वादी द्वारा उक्त भूमि को काश्त करने मे आये दिन व्यवधान पैदा करते है और वादी को शान्ती पूर्वक काश्त नही करने देते है।
2. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 2 अस्वीकार है और कथन है कि संयुक्त खाते की भूमि में बंटवारा हो जाने से जो भूमि वादी के हिस्से आयी है उस पर तथा व्यक्तिगत खाते की भूमि पर वर्तमान में वादी ही काबिज है लेकिन प्रतिवादीगण कभी रास्ते को, कभी पानी के धोरे को बन्द करके वादी के द्वारा उक्त भूमि को काश्त करने मे दखल अन्दाजी पैदा करते है और कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि पर एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के खिलाफ एडवर्स पजेशन लागू नही होता है। क्योकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा होता है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है।
3. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं0 3 अस्वीकार है और कथन है कि प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम मेंन्टिनेबल नही होने से खारिज होने काबिल है और प्रतिवादीगण वादी के खिलाफ किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है।
4. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं0 4 कानूनी है।
5. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं0 5 कानूनी है।
6. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं0 6 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम उचित न्याय शूल्क पर पैश नही किये जाने से खारिज किये जाने काबिल है। यह कि अन्य वजूहात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम सव्यय खारिज किया जावें।

तनकी इस आशय की कायम की गई।

1. आया वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती तथा वादी के व्यक्तिगत खाते की आराजी है।

वादी

2. आया वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य शामलाती खाते की भूमि में रिकार्ड के अनुसार अपने–अपने हिस्से 1/2–1/2 भूमि का बंटवारा हो चुका है। लेकिन प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में आयी 1/2 भूमि को एवं वादी के व्यक्तिगत खाते की भूमि को वादी द्वारा काश्त करने मे व्यवधान पैदा करते है।

वादी

3. आया वादी शामलाती खाते की भूमि मे से अपना हिस्सा 1/2 पृथक से दर्ज करवाने और वादी के व्यक्तिगत खाते की भूमि को काश्त करने मे दखलअन्दाजी न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। और वादी के व्यक्तिगत खाते की भूमि मे अपने पिता का नाम ''मदनलाल '' के बजाय''मदनमोहन'' दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी

4. आया विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को बंटवारे मे प्राप्त हुई थी जिसको वादी ने बंटवारे के समय प्रतिवादी क्रम 1 के नाम करवाने का आश्वासन दिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 विवादित भूमि पर 12 वर्ष से एडवर्स कब्जेदार है इसलिए विवादित भूमि को प्रतिवादी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है और वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी

5. अनुतोष।

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी में PW-1 डालचन्द के बयान लेखबद्व करवाये शामिल मिसल किये मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ कि मेने जिस जमीन का केस इस अदालत मे किया हुआ है। उसके ख0न0 376 रकबा 7.7 बिस्वा ग्राम सोडाना के माल मे इसके अलावा ग्राम मिसाई की 1 बीघा 10 बिस्वा और 4 बिस्वा बडा दोनेा मिसाई के माल मे है। इसके अलावा मरे खुद के खाते की दो टुकडियो जो 6 बीघा 12 बिस्वा है जो मिसाई के माल मे है ग्राम सोडाना के माल की 7 बीघा 7 बिस्वा एवं मिसाई के माल की 1.14 बिस्वा स्थित है। और मरे प्रतिवादी रूपनारायण के शामलाती खाते की जमीन है। उसमे मेरा हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी रूपनारायण का हिस्सा भी 1/2 है। वर्तमान में शामलाती खाते की जमीन मेरे हिस्से की भुमि को मै काश्त कर रहा हुॅ और आधी जमीन का प्रतिवादी रूपनारायण काश्त कर रहा है। जो मरे खुद के खाते की 6.12 बिस्वा जिसको में व्यक्तिगत रूप से काश्त कर रहा हूॅ प्रतिवादीगण मेरे हिस्से की जमीन को काश्त करने मे व्यवधान पैदा करते है। खेतों को पानी पिलाने में रास्ते के बारे में और ट्रेक्टर वालो से हांकने व जोतने की मना करते है। मै अदालत से प्रार्थना करता हूॅ कि शामलाती खाते की भूमि मे से मेरा हिस्सा 1/2 अलग से दर्ज कर दिया जावे और मुझे परेशान ना करे। और प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। मेने पत्रा0 में शामलाती खााते की नकल जमाबंदी EXP-1 है। जो ग्राम मिसाई की है। नजरी नक्शा ग्राम मिसाई EXP-1 है नकल जमाबंदी ग्राम सोडाना EXP-3शामलाती खाते की तथा नजरी नक्शा ग्राम सोडाना EXP-4 है एवं मेरे व्यक्तिगत खाते की जमाबंदी EXP-5 ग्राम मिसाई तथा नजरी नक्शा ग्राम मिसाई EXP-6 है। मेरे व्यक्तिगत खाते की भूमि मे मेरे पिता का नाम मदनलाल सहवन से गलत हो गया है। उसको सही करके मदन मोहन किया जावे।

जिरह वकील प्रतिवादीः–मेरे मुकदमे को चलते तीन साल हो गये। मेरी भूमि को मे मुनाफा काश्त पर जुताई कराता हूॅ हमे अलग हुये करीब 7–8 साल हो गया। इसके पहले हम शामिल ही रहते थ। ख0न0376 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा हमने खरीदी थी जो करीब 20–25 साल हो गये । मिसाई की जमीन के नम्बर मुझे याद नही जो लगभग 1.14 बिस्वा है यह हमारे पूर्वजो की भूमि है। ख0न0 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम मिसाई की जिसके नम्बर याद नही यह भी हमारे पूर्वजो की भूमि है। यह भूमि हमारे दादाजी ने अलग–अलग दर्ज करा दी थी किन्तु हम तीनो भाई शामिल ही रहते थे एवं शामिल ही काश्त करते थे। विवादित भूमि से आधी को मे काश्त करता हूॅ तथा 1/2 को रूपनारायण काश्त करता है यह कहना गलत है कि विवादित भूमि बंटवारे में रूपनारायण को मिली होगी। यह झगडा हमारे बीच 5–6 साल से चल रहा है। यह कहना गलत है कि विवादित भूमि को प्रतिवादी 10–12 साल से काश्त करते है। मेरे खाते मे 6.12 बिस्वा जमीन है तथा शामिल खाते की 7.7 बिस्वा एवं 1 बीघा 14 बिस्वा की भूमि स्थित है। यह कहना गलत है कि विवादित भूमि बंटवारे मे मिली है और वही काश्त करता है। बयान वादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता की साक्ष्यवादी समाप्त की जाती है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रतिवादी में रूपनारायण के बयान लेखबद्व करवाये शामिल मिसल किये दौरान बयान शपथ दिलाई गई। वादी मेरा सगा बडा भाई है। विवादित भूमि भूमि मिसाई एवं सोडाना में स्थित है। ग्राम सेाडाना में 7 बीघा 7 बिस्वा ग्राम मिसाई मे 1 बीघा 10 बिस्वा तथा 4 बिस्वा है। यह जमीन हमारे शामलात खाते मे है एवं 4 बीघा 1 बिस्वा और 2 बीघा 11 बिस्वा,6 बीघा 12 बिस्वा वादी के सेपरेट खाते दर्ज है। हमारे भाइयों के मध्य 2010 में बंटवारा हो चुका है। जिसमे बंटवारा में ग्राम सोडाना 7 बीघा 7 बिस्वा मिसाई की 1 बीघा 14 बिस्वा मुझे बंटवारे में प्राप्त हुयी है तथा 6 बीघा 12 बिस्वा ग्राम मिसाई की वादी को बंटवारे में प्राप्त हुयीं। तथा वक्त बंटवारा हेतु इस बात भी तय हुई थी कि वादी शामिल खाते की ग्राम मिसाई एवं सोडाना की भूमि वादी एवं प्रतिवादी के खाते दर्ज करा देगा। इन्तजार करने बावजूद भी वादी ने प्रतिवादी के खाते दर्ज नही

की सारी विवादित जमीन वर्तमान मे प्रतिवादी के कब्जे मे है। मैं अदालत से चाहता हूॅ कि विवादित भूमि को मेरे खाते दर्ज की जावे।

जिरह वकील–यह कहना सही है कि ग्राम मिसाई एवं सोडाना की आराजी मेरे एवं यह कहना सही है कि ग्राम सोडाना की 7 बीघा 7 बिस्वा मेरे एवं वादी डालचन्द के शामलाती खाते की है। मिसाई की 1 बीघा 10 बिस्वा व 4 बिस्वा भूमि भी मेरे एवं वादी के शामलाती खाते मे दर्ज है। । ग्राम सोडाना की और ग्राम मिसाई की कुल 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे मेरे व वादी के बराबर–बराबर हिस्से दर्ज है। यह कहना सही है ग्राम मिसाई की 4 बीघा 1 बिस्वा और 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी के खाते दर्ज है। यह कहना गलत है कि वाके ग्राम सोडाना की और ग्राम मिसाई की कुल 9 बीघा 1 बिस्वा मे मेरे व वादी के मध्य पूर्व में बंटवारा हुआ हो। ग्राम मिसाई की जो डालचन्द के खाते दर्ज है उस पर भी मेने कब्जा कर लिया क्योकि डालचन्द ने ग्राम सोडाना मिसाई की जमीन मेरे नाम नही कराई। मेने मेरी तरफ से जवाब दावा एव काउण्टर क्लेम पेश किया है। जो प्रदर्थ डी जिसका ए2बी भाग मेने लिखवाया है जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पर जिस पर X स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बंटवारे की लिखापडी या तरीर पत्रावली मे पेश नही हैं। ग्राम मिसाई एवं सोडाना की उपरोक्त विवादित आराजी के अलावा मेरे व डालचन्द के शामलाती खाते की अन्य आराजी पूर्व में नही थी। वर्तमान मे मिसाई व सोडाना की विवादित भूमि पर सन् 2010 से मेरा ही कब्जा है। यह कहना गलत है कि मेरे जबरन कब्जा किया हो किन्तु शामिल खाते की बंटवारे की जमीन मेरे खाते दर्ज करवाने का वादा किया था नही करवाने पर मेने सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया। मेने मेरे कब्जे बाबत् कोई रिकॉर्ड पेश नही किया। जो जमीन वादी के खाते उसके बदले मे मुझे ग्राम सोडाना व मिसाई की 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि बंटवारे मे मेरे नाम करवाने का आश्वासन दिया था और वादी ने जो जमीन उसको दी थी वह बेचान कर दी जो किशन जी को बेचान की थी जिसकी नकल भी मेने इस पत्रावली में पेश नही की है। मौखिक आश्वासन उस समय हम तीनो भाई मौजूद थे अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नही था।

प्रतिवादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहते प्रतिवादी अधिवक्ता की साक्ष्य समाप्त की जाती है। उभयपक्ष की बहस सूनी गई दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराया एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराया पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य हैं। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

कि वाके ग्राम सोडाना की भूमि ख0न0 376 की 7 बीघा 07 बिस्वा एवं ग्राम मिसाई की भूमि ख0न0 240 की 01 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0न0 273 की 04 बिस्वा, मे से वादी का हिस्सा 1/2 पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने एवं वादी की आराजी ख0न0 229 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में वादी के पिता का नाम मदनलाल के स्थान पर मदनमोहन दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तहसीलदार किशनगंज राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.08.08 12:00:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: